

# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी :- इन्द्र सिंह राव, आई.ए.एस.

अपील सं. 74 / 2017 / डिक्री

1. मु. रूकमण बाई विधवा नानालाल धाकड
  2. मु. कैलाशी पिता नालाल धाकड
  3. मु. इन्द्रा पिता नानालाल धाकड
- सभी निवासी माताजी की ओरडी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

—अपीलान्ट

बनाम

1. देवीलाल पिता भेरूलाल धाकड
  2. प्रकाश पिता भेरूलाल धाकड
  3. बाबुलाल पिता भेरूलाल धाकड
  4. मु0 धापुबाई विधवा भेरूलाल धाकड
- सभी निवासी माताजी की ओरडी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
5. मु. गायत्री पिता भेरूलाल पत्नि बगदीराम धाकड
- निवासी घटियावली खेडा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
6. मु. संतोष पिता भेरूलाल पत्नि भेरूलाल धाकड
- निवासी मुंशीजी का खेडा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
7. राज्य जरिये तहसीलदार भदेसर जिला चित्तौड़गढ़

—रेस्पोंडेन्टस

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955  
विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़  
दिनांक 31.10.2006 प्रकरण सं. 84 / 2004

- उपस्थित –
1. श्री भेरूलाल गुर्जर – अभिभाषक अपीलान्टस
  2. श्री बगदीराम धाकड – अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट—1 से 6

निर्णय

दिनांक— 05.01.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार हैं कि वादी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के तहत प्रतिवादीगण के विरुद्ध दिनांक 28/05/04 को वाद पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादी व प्रतिवादीगण के शामिलता खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात मौजा माताजी की ओरडी पटवार हल्का अरनिया पंथ तहसील चित्तौड़गढ़ में खाता संख्या 62 पर अंकित आ.न. 378, 379, 380, 385, 389, 392, 395, 396, 400 से 403 तक कुल कित्ता 12 रकबा 3.72 है स्थित है। उक्त आराजीयात पूर्व में भेरूलाल, नानालाल व नारायणीबाई काबिज होकर हिस्से अनुसार काश्त करते चले आ रहे हैं किन्तु

भेरूलाल व नानालाल की मृत्यु हो जाने से नाम रिलीज करा देने से नानीबाई के 1/3 हिस्से पर वादी काबिज है। खाता शामलाती होने से मेड पाली को लेकर अनावश्यक विवाद होता रहता है तथा पांती बंटवाडा कराने की प्रतिवादीगण को कहा किन्तु टालमटोल करते हैं। बिनायदावा दिनांक 23/05/2004 को प्रतिवादीगणो आपसी बंटवाडा करने से मना करने पर पैदा प्रत्येक दिन होता है। अपीलान्टस एवं रेस्पोजेन्टस संख्या 2 से लगायत 7 तक के खिलाफ रेस्पोजेन्ट संख्या 1 ने एक दावा बाबत् बंटवाडा आराजीयात का पेश किये जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 14/02/2006 को प्राथमिक रूप से डिक्री किया गया उस निर्णय एवं डिक्री के विरुद्ध यह अपील पेश की है।

2. अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री कानून एवं तथ्यो के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय की सूचना नहीं थी। अपीलान्टस मु0 नारायणीबाई द्वारा उसका 1/3 हिस्सा रिलीज के आधार पर क्लेम पर बंटवाडा चाहा है जबकि कृषि भूमि में नारायणीबाई को उसका हिस्सा सिर्फ एक हिस्सेदार के हक में रिलीज करने का कोई अधिकार नहीं है। कुल आराजीयात में मृतक नानालाल एवं भेरूलाल का 1/2, 1/2 हिस्सा ही रहता है व इसी अनुसार विभाजन किया जाना था। अधीनस्थ न्यायालय ने रिलीज के आधार पर वादी का हिस्सा अधिक मान प्राथमिक डिक्री करने में विधिक भूल की है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री प्राथमिक निरस्त फरमाई जावे।

3. दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने बयान किया कि अमृतलाल के दो पुत्र एवं पत्नि है जो खातेदार के रूप में दर्ज है। 18 वर्ष पूर्व एक पुत्र श्री भेरूलाल की मृत्यु हो गई जिसके वारिस रेस्पोजेन्ट संख्या 1 से 6 है। इस प्रकार देवीलाल का उक्त भूमि पर 1/18 हिस्सा है। दूसरे पुत्र श्री नानालाल की मृत्यु 17 साल पूर्व हो गई है जिसके दो पुत्रियां तथा पत्नि है जो अपीलान्ट संख्या 1 से 3 है। इनका प्रत्येक का उक्त भूमि में 1/9 हिस्सा है। श्री अमृतलाल की पत्नि नारायणी की मृत्यु दिनांक 18/03/2017 को हो गई है जब मृत्यु के पश्चात् नामान्तकरण दर्ज कराने गये तब अपीलान्ट को जानकारी हुई कि रेस्पोजेन्टस कि उनके विरुद्ध कार्यवाही हो गई है। नारायणी द्वारा उक्त भूमि की रिलीजडीड एक पोता रेस्पोजेन्ट संख्या 1 के हक में कर दी गई है जिसे 1/3 हिस्सा प्राप्त हो गया है। इस प्रकार कोई खातेदार /माता /दादी एक व्यक्ति के नाम रिलीजडीड नहीं कर सकती। ऐसी सूरत

मे उक्त रिलीजडीड स्वतः ही खारीज होने योग्य है। इस सम्बन्ध में उनके द्वारा आरआरटी 2014 पार्ट-1 पेज 502, आरआरडी 2008 पेज 474, आरआरजे 2011 पार्ट-1 पेज 432 की नजीरे पेश करते हुए आग्रह किया गया कि अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे।

4. वकील रेस्पोजेन्ट ने मौखिक बहस प्रस्तुत करते हुए लिखित बहस पेश करते हुए बयान किया कि अपीलान्टस और रेस्पोजेन्टस एक ही परिवार के सदस्य हैं। अपील मियाद बाहर होकर बार्ड बाय लॉ है। रिलीज डीड आदि सभी अपीलान्टस की सहमति से की गई थी। अधीनस्थ न्यायालय में विधिवत तामील के बावजूद अपीलान्टस उपस्थित नहीं हुए थे, प्रथमतः मियाद के बिन्दू पर ही अपील खारीज किये जाने योग्य है। अपील 12 वर्ष बाद पेश हुई है। 14 वर्ष पहले जो रजिस्टर्ड रिलीजडीड नाराणी ने देवीलाल ने कराई, उसकी अपीलान्टस को जानकारी थी। खाता भी देवीलाल के नाम वर्षों पूर्व खुल चुका था। उपरोक्त रिलीज डीड के आधार पर विधिवत राजस्व रिकार्ड में इंतकाल देवीलाल के नाम खुल चुका था, जिसकी आपने कोई अपील नहीं की। आज के 23 साल पहले नानुराम लगातार बीमार रहा उसकी सम्पूर्ण सेवाचकरी देखरेख, ईलाज घर का सारा काम जिम्मेदारी आदि सभी देवीलाल ने ही किया तथा 17 साल पहले नानुराम की मृत्यु उपरान्त सामाजिक क्रियाकर्म आदि सभी रेस्पोजेन्ट देवीलाल ने ही पुत्रवत सम्पन्न किया। अपीलान्टस स्थगन आदेश की आड में रेस्पोजेन्ट की जमीन जबरन हड़पने पर आमादा है, तथा आये दिन झगडा फसाद करता है। रेस्पोजेन्ट देवीलाल के पिता भेरूलाल की मृत्यु उपरान्त भेरूलाल की जमीन में से देवीलाल के जो हक हिस्सा आया उसको देवीलाल ने सभी अपीलान्टस दादी मां नाराणबाई तथा परिवार की सहमति से अन्य भाईयो प्रकाश, एवं बाबु को दे दिया। भेरूलाल की जमीन में से देवीलाल के पास कोई हक हिस्सा राजस्व रिकार्ड में नहीं है। ऐसी सूरत में वर्तमान में उपरोक्त अपील का कोई औचित्य नहीं है। अतः अपील अपीलान्टस खारीज फरमाई जावे।

5. बहस उभयपक्ष सुनी गई एवं मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, उपलब्ध रिकार्ड एवं नजीरो का अवलोकन किया गया जिसके आधार पर यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में समस्त रिकार्ड एवं विधिक बिन्दूओ को ध्यान में रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विस्तृत सुनवाई अपेक्षित है। ऐसी सूरत में अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रकरण संख्या

84/2004 मे पारित निर्णय दिनांक 31/10/2006 अपास्त किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण प्रतिप्रेषित करते हुए निर्देश दिये जाते है कि उभयपक्षो को समुचित सुनवाई का अवसर देते हुए प्रकरण मे पुनः निर्णय पारित किया जावे। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(इन्द्र सिंह राव)  
आई.ए.एस.  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
चित्तौड़गढ